

सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार

1. यह एक मौलिक अधिकार है।
2. यह सम्पूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर दिनांक 12 अक्टूबर 2006 से लागू है।
3. यह अधिनियम केन्द्र, राज्य एवं गैर सरकारी संगठन एन.जी.ओ. जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा घोषित, हो सभी पर लागू है।

इसमें क्या शामिल है?

1. सभी प्रकार के अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, आदेश नमूने, रिपोर्ट सर्कुलर, संविदा कांट्रैक्ट, कागज, पत्र, लागबुक, मॉडल, और आंकड़े संबंधी सामग्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में है इसके अतिरिक्त—
2. निर्माण कार्यो दस्तावेजो और अभिलेखो का निरीक्षण का अधिकार।
3. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि का अधिकार।
4. सामग्री के प्रमाणित नमूना लेने का अधिकार।
5. डिस्कट, फ्लोपी टेप वीडियो कैसेट प्रिंट आउट के माध्यम से कम्प्यूटर में भंडारित सूचना लेने का अधिकार।

आवेदन कहां दें ?

1. संबंधित विभाग के जनसूचना/सहायक जनसूचना अधिकारी के पास।
2. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रु. 10 नगदी अथवा चालान के साथ।
3. जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर छायाप्रति का निर्धारित शुल्क अलग से देना होगा।
4. जानकारी 30 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी को देना होगा अन्यथा।
5. रु. 250/- प्रतिदिन जुर्माना देय होगा।

शुल्क की छूट

1. गरीबी रेखा में आने वाले व्यक्ति को आवेदन शुल्क नहीं लगेगा।
2. उसे मांगी गई जानकारी भी निशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

अपील

1. प्रथम अपील—जन सूचना अधिकारी से बड़े ओहदे के विभागीय अधिकारी के पास।
2. जानकारी अस्वीकृत होने की सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील करना होगा।
3. अपील का निर्णय भी अपील करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर करना होगा।
4. द्वितीय अपील:— राज्य सूचना आयोग के पास की जावेगी।
5. प्रथम अपील के निर्णय से 90 दिनों के अंदर करना होगा।
6. निर्णय लेने की समय सीमा नहीं है।
7. राज्य सूचना आयोग के निर्णय को केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, सिविल न्यायालय में नहीं।

सहायक सूचना अधिकारी:—मुख्य लिपिक, शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बिलासपुर छ.ग.।

सूचना अधिकारी :- प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बिलासपुर छ.ग.।

प्रथम अपीलीय अधिकारी:— आयुक्त सह सचिव कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग.

द्वितीय अपीलीय अधिकारी:— सचिव, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग महानदी भवन, नया रायपुर छ.ग.